



09/6/22

अपीलान्ट के प्रापत्र पर पश्चावली पेडी में  
ली गई। अपीलान्ट स्वयं उपस्थित। अपीलान्ट  
के आदेश उप। अपीलान्ट ने प्रापत्र के  
माध्यम से नितेदन किया कि उसके द्वारा अपीलान्ट  
आदेश को सक्षम न्यायालय माननीय राजस्थान  
उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी जा  
चुकी है इसलिए वह इस अपील में आगामी  
कार्यवाही नहीं चाहता है। अपीलान्ट द्वारा  
हस्तगत अपील में कार्यवाही नहीं चाहने  
व अपील को विद्रा करने के इजाजत चाहने  
पर, अपील अपीलान्ट को विद्रा की जाती है  
अपील की प्रति पश्चावली में शामिल करते हुए  
मूल अपील अपीलान्ट को वापिस लौटाई  
जावे। पश्चावली निर्मित दखित कर नम्बर  
से कम की जाकर बादतकमिल जिला  
अभिलेखगार में जमा करवाई जावे।  
आदेश सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला क्लर्क (सतर्कता)  
जोधपुर